

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक - रीडर/2021/ 11

दिनांक 15-3-2021

-: आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक राजस्व(ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक प.3 राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जानी है।

उक्त रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 53,59,60,66 एवं 86 के अनुसार तहसीलदार बिजयनगर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व अनुशंषा अनुसार भूमि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में चरागाह गै.मु. रास्ता एवं नक्शे में लाल स्याही से अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बिजयनगर उक्त आदेश के अनुसार पालना सुनिश्चित कर 15 दिवस में मय रेकार्ड की प्रति सहित पालना प्रेषित करे।

पटवार मण्डल :- लोडियाना

तहसील :- बिजयनगर

वर्तमान जगाबंदी में दर्ज प्रविष्टि						नवीन(रास्ता हेतु) प्रविष्टि			
क्र. सं.	पोर्टल क्रमांक	तहसीलदार के पत्रांक मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा न.	कुल रकबा (बीघा)	किरम जमीन	खसरा न.	रकबा(बीघा)	किरम जमीन
1	2021/	02/ 04.01.2021	लक्ष्मीपुरा	152/149	12.1269	चरागाह	152/149/1	0.1721 है०	चरागाह गै.मु. रास्ता

नोट:- अवशेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।



(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी (न्याया)
(एस.डी.एम. मसूदा (अजमेर))
मसूदा (अजमेर) तह.

